



केवल मूल्यांकनकर्ता के उपयोग हेतु!

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

32 पृष्ठीय

केवल परीक्षक द्वारा भरा जावे। प्रश्न क्रमांक के सम्मुख प्राप्तांकों की प्रविष्टि करें।

प्रश्न क्रमांक	पृष्ठ क्रमांक	प्राप्तांक (अंकों में)	प्रश्न क्रमांक	पृष्ठ क्रमांक	प्राप्तांक (अंकों में)
1			17		
2			18		
3			19		
4			20		
5			21		
6			22		
7			23		
8			24		
9			25		
10			26		
11			27		
12			28		
13					
14					
15					
16					

परीक्षक एवं उपमुख्य परीक्षक द्वारा भरा जावे

प्रमाणित किया जाता है कि अन्दर के पृष्ठों के अनुरूप मुख्य पृष्ठ पर अंकों की प्रविष्टि एवं अंकों का योग सही है।

निर्धारित मुद्रा : नाम, पदनाम, मोबाईल नम्बर, परीक्षक क्रमांक एवं पदांकित संस्था के नाम की मुद्रा लगाएं।

उप मुख्य परीक्षक द्वारा भरा जावे

परीक्षक द्वारा भरा जावे

ST-16A

01 + 14 = 14



पृष्ठ 2 क अंक कुल अंक

BOARD OF SECONDARY EDUCATION, MADHYA PRADESH, BHOPAL

प्रश्न क्र.

प्रश्न क्रमांक - 1

- i) नहीं दिया जाता। ✓
- ii) त्याग अनुपात ✓
- iii) 2:1 ✓
- iv) उसका भाग की स्वार्थि से ✓
- v) 10% से ✓
- vi) पूँजी आरक्षित में ✓

B  
S  
E

प्रश्न क्रमांक - 2

- i) चालू खाता। ✓
- ii) पुनर्गठन। ✓
- iii) पुराने लाभ विभाजन। ✓
- iv) सार्वजनिक। ✓
- v) शेयर हल्लय। ✓
- vi) धराया। ✓

2/1/2020

12 + 2 = 14  
यो पृ कुल अंक



प्रश्न क्र.

उत्तर क्रमांक - 3

B  
S  
E

<del>i) औसत लाभ</del>	<del>-</del>	<del>गुणनफल विधि</del>
<del>ii) आहरण पर व्याज</del>	<del>-</del>	<del>ग्रहणपत्र का प्रतिफल</del>
<del>iii) अधिकृत पूंजी</del>	<del>-</del>	<del>अल्पकालीन ग्रहणरोधन क्षमता</del>
<del>iv) स्थिर व्याज दर</del>	<del>-</del>	<del>माल का विक्रय</del>
<del>v) द्रव्य अनुपात</del>	<del>-</del>	
<del>vi) प्रचालन से रोक</del>	<del>-</del>	
<del>vii) ग्रहणपत्र</del>	<del>-</del>	

(अ)

(ब)

i) औसत लाभ	-	विनियोजित पूंजी
ii) आहरण पर व्याज	-	गुणनफल विधि
iii) अधिकृत पूंजी	-	प्रतिमा पार्षद नियम
iv) ग्रहणपत्र	-	दीर्घकालीन ग्रहण
v) स्थिर व्याज दर	-	ग्रहणपत्र का प्रतिफल
vi) द्रव्य अनुपात	-	अल्पकालीन ग्रहणरोधन क्षमता
vii) प्रचालन से रोक	-	माल का विक्रय

प्रश्न क्र.

प्रश्न क्रमांक - 4

- B  
S  
E
- i) सामान्य लाभ पर वास्तविक लाभ का आधिक्य अदिलाम कहलाता है।
  - ii) संचित पूँजी की माँग कम्पनी के समाप्त पर,
  - iii) पूर्वाधिकार अंशों को लाभान्वित भुगतान में प्राथमिकता,
  - iv) पूँजी संचय पूँजीगत लाभों से बनाया जाता है,
  - v) अनुसूची III के भाग I के अनुसार टूलन-पत्र
  - vi) लाभपद्धता अनुपात (लाभदासकता अनुपात),
  - vii) विनियोग संबंधी क्रिया - क्लॉप (विनियोग क्रिया),

25 + 18 = 43



प्रश्न क्र.

प्रश्न क्रमांक - 5

- i) असत्य ✓
- ii) असत्य ✓
- iii) सत्य ✓
- iv) असत्य ✓
- v) असत्य ✓
- vi) सत्य ✓



B  
S  
E

प्रश्न क्रमांक - 6

भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 4

भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार -

"साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है, जो किसी ऐसे व्यवसाय के लाभ को आपस में बाँटने के लिए सहमत होते हैं, जो उन सबके द्वारा अथवा उन सबकी ओर से किसी एक के द्वारा संचालित किया जाता है,"

अर्थात् साझेदारी से आशय दो या दो से अधिक व्यक्तियों के



प्रश्न क्र.

मध्य लाभ बॉटले हुए किसी व्यवसाय के प्रचालन के लिए किया गया अनुबंध है, इसमें प्रायः साझेदारों के दायित्व असीमित होते हैं, इनके बीच अनुबंध से लिखित अथवा मौखिक हो सकता है। साझेदारी का पंजीयन करना ऐच्छिक है, अनिवार्य नहीं।

प्रश्न क्रमांक - 7

स्थिर पूँजी विधि एवं अस्थिर पूँजी विधि में अंतर -

B  
S  
E

क्र.	स्थिर पूँजी विधि	अस्थिर पूँजी विधि
i)	इस विधि में साझेदारों के दो खाते खोले जाते हैं - पूँजी खाता चालू खाता	इस विधि में साझेदारों का केवल एक ही खाता खोला जाता है - पूँजी खाता
ii)	लाभ विभाजन हेतु समायोजनों को चालू खाते में हस्तांतरित किया जाता है	लाभ विभाजन हेतु समायोजनों को पूँजी खाते में हस्तांतरित करते हैं।
iii)	प्रायः पूँजी खाते का बकाया स्थिर रहता है।	इसमें पूँजी खाते का शेष बदलता रहता है।



प्रश्न क्र.

प्रश्न क्रमांक - 8

साझेदारों का पुराना अनुपात - (अ)  $\frac{3}{9}$  (ब)  $\frac{4}{9}$  (स)  $\frac{2}{9}$

ब डे निवृत्त होने पर शेष साझेदारों का नया अनुपात =

(अ)  $\frac{5}{8}$  (स)  $\frac{3}{8}$

प्राप्ति अनुपात = नया अनुपात - पुराना अनुपात

$$अ = \frac{5}{8} - \frac{3}{9} = \frac{45 - 24}{72} = \frac{21}{72}$$

$$स = \frac{3}{8} - \frac{2}{9} = \frac{27 - 16}{72} = \frac{11}{72}$$

अतः प्राप्ति अनुपात 21:11 होगा ।

B  
S  
E

fippi

8

योग पूर्व पृष्ठ

+

पृष्ठ 8 के अंक

=

कुल अंक



प्रश्न क्र.

प्रश्न क्रमांक - 9

फर्म के अनिवार्य विघटन की निम्नलिखित परिस्थितियाँ हो सकती हैं -

i) साझेदारी फर्म का व्यवसाय अवैध घोषित हो जाए,

ii) साझेदारों की संख्या अधिकतम संख्या सीमा से ज्यादा हो जाए,

iii) सभी या एक को छोड़कर सभी साझेदार दिवालिया घोषित हो जाए, फर्म में केवल एक साझेदार बचा हो,

उपर्युक्त परिस्थितियों में फर्म का विघटन होना अनिवार्य विघटन कहलाएगा।

B  
S  
E

त & Copier Label





प्रश्न क्र.

### प्रश्न क्रमांक - 10

अंश (Share) :- कम्पनी की पूंजी एक निश्चित राशि की जिन विभिन्न इकाइयों में विभक्त रहती है वे इकाइयाँ ही 'अंश' कहलाती हैं। अर्थात् कम्पनी की पूंजी की न्यूनतम भाग जिसकी राशि निश्चित रहती है अंश कहलाते हैं।  
 "पूंजी का वह आनुपातिक भाग, जिस पर प्रत्येक सदस्य का अधिकार होता है, अंश कहलाता है।"

B  
S  
E

उदाहरण के लिए एक कंपनी की पूंजी ₹ 1,00,000 है और उसकी पूंजी ₹ 10 के राशि वाले 10,000 भागों में विभक्त है तो यह ₹ 10 का भाग ही कम्पनी का एक अंश कहलाता है।

अंशों के निर्माण द्वारा कम्पनी जनता से अपनी अंश पूंजी एकत्रित करती है। इन अंशों को खय करने वाले कम्पनी के अंशधारी कहलाते हैं।



प्रश्न क्र.

3

प्रश्न क्रमांक - 11

Journal entry  
In the book of TRS Ltd.

B  
S  
E

Particular	L.F.	Amount ₹	Amount ₹
Share Capital a/c	Dr.	1750	
To share allotment a/c			750
To share first call a/c			500
To share forfeiter a/c			500
(Being share forfeited)			

Working note -

Share Capital (भोगी गई राशि)  $20 + 30 + 20 = ₹ 70$   
 $70 \times 25$  (अंश)  
 $= ₹ 1750$

Share forfeiter a/c (आवेदन की पाप राशि)  $= ₹ 20$   
 $25 \times 20$   
 $= ₹ 500$

ppp



प्रश्न क्र.

प्रश्न क्रमांक - 12

पंजीकरण के दृष्टिकोण से ऋणपत्र निम्न दो प्रकार के होते हैं-

i) रजिस्टर्ड ऋणपत्र (पंजीकृत) :-

जिन ऋणपत्रों का लेखा कम्पनी के रजिस्टर में किया जाता है, उन्हें पंजीकृत या रजिस्टर्ड या अभिलेखित ऋणपत्र कहते हैं। इन ऋणपत्रों पर व्याज का भुगतान ऋणपत्र धारी को ही किया जाता है, जिसका नाम रजिस्टर में लिखा रहता है।

ii) वाहक ऋणपत्र :-

ऐसे ऋणपत्र जिसका हस्तांतरण केवल संपूर्णता से कर दिया जाता है तथा जिसका लेखा कम्पनी के रजिस्टर में नहीं किया जाता उन्हें वाहक ऋणपत्र कहते हैं। इन ऋणपत्रों के व्याज का भुगतान ऋणपत्र धारी को किया जाता है।

B  
S  
E

## प्रश्न क्रमांक - 13

विलीय विवरणों की प्रकार निम्नानुसार है -

i) विलीय विवरण अभिलेखित तथ्य :-

विलीय विवरण अन्य खालों से प्राप्त अभिलेखित तथ्यों के आधार पर बनाए जाते हैं। इनका संबंध ऐतिहासिक तथ्यों से होता है जो एक निश्चित अवधि की निष्पादन एवं व्यवसाय की लाभार्जन क्षमता को परिवर्धित करते हैं।

ii) मौद्रिक रूप में :-

विलीय विवरण मौद्रिक रूप में तैयार किए जाते हैं, अर्थात्, इनमें गुणात्मक पहलु को ध्यान में न रखकर केवल संख्यात्मक / मात्रात्मक अंकों को लिखा जाता है।

iii) विलीय विवरण लेखांकन प्रक्रिया के अंतिम परिणाम होते हैं,

48 = 2 = 49



प्रश्न क्र.

प्रश्न क्रमांक - 14

$$\text{चालू अनुपात} = \frac{\text{चालू सम्पत्तियाँ}}{\text{चालू दायित्व}}$$

$$\text{चालू सम्पत्तियाँ} = \text{रोकड़} + \text{उपार्जित आय} + \text{रहविया} + \text{पूर्वदत्त व्यय}$$

$$= ₹ 15,000 + ₹ 5,000 + ₹ 5,000 + ₹ 5,000$$

$$= ₹ 30,000$$

$$\text{चालू दायित्व} = \text{बैंक अधिविर्ध} + \text{उदत्त व्यय}$$

$$= ₹ 20,000 + ₹ 10,000 = ₹ 30,000$$

$$\text{चालू अनुपात} = \frac{₹ 30,000}{₹ 30,000}$$

$$= 1:1$$

अतः चालू अनुपात 1:1 होगा,

B  
S  
E

प्रश्न क्र.

प्रश्न क्रमांक - 15

रोड प्रवाह विवरण :

एक निश्चित अवधि के लिए घटित हुए समस्त रोड भूगतानों एवं रोड प्राप्तियों के सारांश के रूप में जिस विवरण को तैयार किया जाता है, उसे रोड प्रवाह विवरण कहते हैं। इसमें रोड के बहिर्वर्हि एवं अन्तर्वर्हि को तीन क्रियाओं से प्राप्त किया जाता है, विनियोग से, विलीय क्रियाओं से प्राप्त रोड में विभाजित किया जाता है। यहाँ 'रोड' से तात्पर्य रोड एवं रोड तुल्यों से है। रोड तुल्य अत्यधिक तुरंत अल्पकालीन प्रवेश होते हैं जिन्हें अतिशीघ्र ही रोड में परिवर्तित किया जा सकता है।

अतः रोड प्रवाह विवरण निर्दिष्ट अवधि के रोड भूगतानों (प्रयोगों) एवं रोड प्राप्तियों (स्रोतों) की सूचना देता है एवं व्यवसाय के रोड की स्थिति को बताता है।

B  
S  
E

57 + 0.5 = 57.5



प्रश्न क्र.

प्रश्न क्रमांक - 17

अंश एवं ऋणपत्र में अंतर -

B  
S  
E

क्र.	अंतर का आधार	अंश (Share)	ऋणपत्र (Debenture)
i)	पूँजी	अंशों द्वारा कम्पनी को स्वामित्व पूँजी प्राप्त होती है,	ऋणपत्रों द्वारा कम्पनी को ऋण पूँजी प्राप्त होती है,
ii)	सदस्य	अंशधारी कम्पनी के स्वामी होते हैं,	ऋणपत्रधारी कम्पनी के लेंनदार होते हैं,
iii)	प्रतिफल	अंशों पर लाभानुक्त प्रतिफल स्वरूप मिलता है,	ऋणपत्रों पर व्याज प्रतिफल स्वरूप मिलता है,
iv)	अधिकार	अंश अंशधारी को व्यवसाय में मत देने का अधिकार देते हैं	ऋणपत्र मत देने का अधिकार नहीं देते।
v)	उधार	अंश दो प्रकार के होते हैं, समतल और पूर्णधिकार अंश,	ऋणपत्र अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे - रोह्य ऋणपत्र परिवर्तनशील ऋणपत्र आदि



प्रश्न क्र.

प्रश्नक्रमांक - 18

मद	मुख्य शीर्षक	उप-शीर्षक
पेटेन्ट	<del>गैर-चालू सम्पत्ति (सम्पत्ति पक्ष)</del>	<del>अमूर्त स्थायी सम्पत्ति</del>
फर्नीचर	<del>गैर-चालू सम्पत्ति (सम्पत्ति पक्ष)</del>	<del>मूर्त स्थायी सम्पत्ति</del>
व्यापारिक देय	<del>चालू दायित्व (सम्पत्ति एवं दायित्व पक्ष)</del>	<del>व्यापारिक देयताएँ</del>

प्रश्नक्रमांक - 19

वित्तीय क्रियाकलापों से रोकड प्रवाह के उदाहरण -

- ~~अंशों के निर्गमन से प्राप्त रोकड एवं इन पर लाभांश का भूगतान ।~~
- ~~ऋणपत्रों के निर्गमन से प्राप्त रोकड एवं इन पर ब्याज का भूगतान ।~~



58 3 = 60



प्रश्न क्र.

- iii) पूर्वाधिकार अंशों एवं ऋणपत्रों के रोधन से बैंक का बहिर्वाह, दीर्घकालीन ऋण वित्तीय संस्थाओं, बैंक से लेना,
- iv) ऋणों का भूगतान बैंक का बहिर्वाह,
- v)

अन्तर्वाह

बहिर्वाह

द्वारा निर्गमन से प्राप्त बैंक  
 ऋणपत्र निर्गमन से प्राप्त बैंक  
 ऋण लेना

पूर्वाधिकार अंशों का रोधन  
 ऋणपत्रों का रोधन  
 ऋणों का भूगतान

E  
S  
E

प्रश्न क्रमांक - 21

व्याग अनुपात एवं प्राप्ति अनुपात में अंतर -

क्र.	अंतर का आधार	व्याग अनुपात	प्राप्ति अनुपात
1.	लाभ	किसी सस्तेद्वार द्वारा जिस अनुपात में अपने लाभ विभाजन अनुपात का भाग व्याग किया जाता है, उसे व्याग अनुपात कहते हैं,	किसी सस्तेद्वार द्वारा अपने लाभ विभाजन अनुपात में जिस अनुपात में लाभ का भाग प्राप्त होता है, उसे प्राप्ति अनुपात कहते हैं,



प्रश्न क्र.

2. सूत्र  
 त्याग अनुपात = पुराना अनुपात -  
 नया अनुपात ।  
 प्राप्त अनुपात = नया अनुपात -  
 पुराना अनुपात ।

3. लाभ  
 साझेदार को पूर्व की तुलना  
 में अब कम लाभ प्राप्त  
 होगा ।  
 साझेदार को पूर्व की तुलना  
 में अधिक लाभ प्राप्त होगा ।

4. क्षतिपूर्ति  
 त्याग करने वाले  
 साझेदार को क्षतिपूर्ति की  
 जाती है ।  
 प्राप्त करने वाले साझेदार  
 को क्षतिपूर्ति त्याग करने  
 वाले साझेदार को करनी  
 पड़ती है ।

ज्ञात  
 यह अधिकतर साझेदार के  
 प्रवेश पर ज्ञात किया जाता  
 है ।  
 यह अधिकतर साझेदार के  
 अवकाश पर ज्ञात किया  
 जाता है ।

6. समायोजन  
 पक्ष  
 नए साझेदार द्वारा ख्याति  
 की शक्ति नकद न लभने पर  
 पूर्ण खाते के समायोजन  
 में इन साझेदारों को  
 खाता जमा होता है ।  
 ऐसे समायोजन में इन  
 साझेदारों का खाता नाम  
 होता है, पूर्ण

B  
S  
E



प्रश्न क्र.

प्रश्न क्र. 16

सेवानिवृत्त साझेदार को देय राशि का भूगतान निम्न विधियों से किया जा सकता है -

i) एक मूर्त भूगतान :-

जब व्यवसाय में पर्याप्त पूंजी अथवा शेयर उपलब्ध होती है तो शेष साझेदार निवृत्त साझेदार को देय राशि का भूगतान एक ही किरत में पूरा कर देते हैं, राशि का भूगतान बैंक द्वारा कर दिया जाता है। ऐसे में जर्नल एविष्टि इस प्रकार हो सकती है -

B  
S  
E

Retiring partner's capital a/c      Dr.      ---  
To Bank a/c      Cr.      ---

(Being payment paid up of retiring partner in lump-sum)

ii) किश्तों में भूगतान :-

जब व्यवसाय के पास पर्याप्त धन नहीं होगा, तो वह निवृत्त साझेदार को देय राशि का भूगतान किश्तों



प्रश्न क्र.

डे माध्यम से भी कर सकते हैं, इस विधि में प्रत्येक वर्ष निश्चित किस्त का भुगतान ब्याज सहित किया जाता है अवकाश ग्रहण करने वाले की देय राशि उसके पूंजी खाते से उसके ऋण खाते में हस्तांतरित कर दी जाती है।

B  
S  
E

Retiring Partner's Capital a/c Dr.  
To Retiring Partner's loan a/c

(Dr) ₹ (Cr) ₹

(Being amount of Retiring partner transfer to loan a/c)

ब्याज का भुगतान करने पर किस्त सहित -

Retiring Partner's loan a/c Dr.  
To Cash a/c

(Dr) ₹ (Cr) ₹

(Being instalment with interest paid up)

\* इसके अलावा वार्षिकी उच्च खाता खोलकर निश्चित राशि का प्रतिवर्ष भुगतान करते शेष राशि पर ब्याज द्वारा भी भुगतान किया जाता है,



प्रश्न क्र.

Working note -

Profit after Interest on capital =

$$अ - 1,20,000 \times \frac{10}{100} = ₹ 12,000$$

$$ब - 75,000 \times \frac{10}{100} = ₹ 7,500$$

$$स - 60,000 \times \frac{10}{100} = ₹ 6,000 \quad \text{total} = ₹ 25,500$$

$$\text{Profit after Interest on capital} = 1,19,250 - 25,500 = ₹ 93,750$$

$$\text{स' को गारंटी} = 22,500 \quad (\text{स}) \text{ उभय का लाभ} = 93,750 \times \frac{82}{100} = ₹ 18750$$

'स' को लाभ ब अ द्वारा दिया जाएगा =

$$22,500 - 18750 = ₹ 3750$$

$$\text{अ का लाभ} = 46,875 - 3750 = ₹ 43,125$$



प्रश्न क्र.

प्रश्न क्रमांक - 22.

$$\text{अधिलाभ के पूँजीकरण द्वारा रक्याति} = \frac{\text{अधिलाभ} \times 100}{\text{सामान्य परिफल}}$$

$$\text{अधिलाभ} = \text{औसत लाभ} - \text{सामान्य लाभ}$$

$$\text{सामान्य लाभ} = \frac{\text{विनियोजित पूँजी} \times \text{सामान्य प्रतिफल दर}}{100}$$

$$\text{विनियोजित पूँजी} = \frac{\text{कुल संपत्तियाँ} - \text{चालू दायित्व}}{100}$$

$$= \frac{6,00,000 - 2,80,000}{100} = ₹ 3,20,000$$

$$\text{सामान्य लाभ} = \frac{3,20,000 \times 10}{100} = ₹ 32,000$$

$$\text{अधिलाभ} = 40,000 - 32,000 = ₹ 8,000$$

$$71 + 4 = 75$$



प्रश्न क्र.

$$\text{रक्याति} = \frac{\text{अधिलाम} \times 100}{\text{सामान्य परिफल दर}}$$

$$= \frac{8,000 \times 100}{10}$$

$$= ₹ 80,000$$

अतः अधिलाम के पूँजीकरण से प्राप्त रक्याति ₹ 80,000 होगी,

B  
S  
E

प्रश्नमां 25 →





प्रश्न क्र.

## Journal Entries.

B  
S  
E

Particular	L.F.	Amount ₹	Amount ₹
Bank a/c [20,000 × ₹2] Dr. To Equity Share Application a/c (Being amount of application received of 20,000 shares)		40,000	40,000
Equity Share application a/c Dr. To Equity share capital a/c To S (Being application money transfer to share capital a/c)		40,000	40,000
Equity Share allotment a/c [20,000 × ₹5] Dr. To Equity share capital a/c (20,000 × 3) To Securities Premium a/c (20,000 × 2) (Being allotment amount with premium due)		1,00,000	60,000 40,000
Bank a/c Dr. To Equity share allotment a/c (Being allotment amount received with premium)		1,00,000	1,00,000

$75 + 7 = 82$



प्रश्न क्र.

B  
S  
E

Dt	Particular	L.F.	Amount ₹	Amount ₹
	Equity share first and last call a/c Dr. To Equity Share capital a/c (Being Equity share first and last call done)		1,00,000	1,00,000
	Bank a/c [20,000 x 5] Dr. To Equity share first and last call a/c (Being share first and last call money received)		1,00,000	1,00,000
	Total of Journal		4,80,000	4,80,000